न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2017 राजस्व वाद

अनवान

1. लादु पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

—— (वादी)

बनाम

1. गोपाल पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. छाउ पुत्री गोकल माली पत्नी छीतर माली उम्र वयस्क हाल निवासी भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. शान्ति पुत्री गोकल माली पत्नी छगना माली हाल निवासी खेडा खुट माताजी के सामने, संजय कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर ....वादी अधिवक्ता

दिनांक– 02.07.2019

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्तिम डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रायला पटवार क्षैत्र रायला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 1309 किता 6 रकबा 11–06 बीघा भूमि का तैयार विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1 लादु पिता गोकल 5/6, छाउ पुत्री गोकल 1/6 माली सा.देह (वादी व विपक्षी संख्या 2)

आ0न0	रकबा
2004	00-09
2646	01-10
2646/4	00-09
2651	01-07
2653/1	01-01
2779	00-10-10
कुल 06	रकबा 05–06–10 बीघा

2 गोपाल पिता गोकल 5/6, शान्ति पुत्री गोकल 1/6 माली सा.देह (प्रतिवादी संख्या 01, 03)

आ0न0	रकबा
2004/1	00-10
2646/1	01-10
2646/3	00-10

2/52
श्री [illegible] कुमार [illegible]

2651/1	01-06
2653	01-00
2779/1	00-10-10
कुल 06	रकबा 05–06–10 बीघा

3 शामलात–

आ0न0	रकबा
2650	00-10
2646/2	00-03
कुल 02	रकबा 00–13 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में विभाजन वादी व प्रतिवादी कम 01 से 03 के मध्य कम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01 से 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 02.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– डिकी की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा